"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 जनवरी 2018—पौष 22, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुधीर सोरते आत्मज श्री मानिकराव सोरते, उम्र 52 वर्ष, निवासी-प्लाट नं.-83, सड़क-4, मैत्रीकुंज, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे कुछ आवश्यक शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों में मेरा लघु नाम एस. एम. सोरते दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर पूर्ण नाम सुधीर सोरते रख लिया हूं था इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सुधीर सोरते आ. श्री मानिकराव सोरते के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

एस. एम. सोरते
(S. M. Sorte)
पिता-श्री मानिकराव सोरते
(Shri Manikrao Sorte)
निवासी-प्लाट नं.-83,
सड़क-4, मैत्रीकुंज, रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सुधीर सोरते
(Sudhir Sorte)
पिता-श्री मानिकराव सोरते
(Shri Manikrao Sorte)
निवासी-प्लाट नं.-83,
सड़क-4, मैत्रीकुंज, रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, एशलि श्रीवास्तव आत्मजा श्री अनिल कुमार, उम्र 21 वर्ष, निवासी-म. नं. बी-71, सड़क-12, स्मृति नगर, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, परिचय पत्र आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ड्रायविंग लायसेंस एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों व अभिलेखों में मेरा नाम एशलि (Aishley) दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर पूर्ण नाम/उपनाम एशलि श्रीवास्तव (Aishley Shrivastava) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे एशलि श्रीवास्तव आत्मजा श्री अनिल कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

एशलि (Aishley)
पिता-अनिल कुमार
(Anil Kumar)
निवासी-म. नं. बी-71,
सड़क-12, स्मृति नगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
Add.- House No.B-71,
Street-12, Smriti Nagar, Bhilai
Tah & Dist.-Durg (C. G.)

नया नाम

एशलि श्रीवास्तव
(Aishley Shrivastava)
पिता-अनिल कुमार
(Anil Kumar)
निवासी-म. नं. बी-71,
सड़क-12, स्मृति नगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
Add.- House No.B-71,
Street-12, Smriti Nagar, Bhilai
Tah & Dist.-Durg (C. G.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, एमम श्रीवास्तव आत्मज श्री अनिल कुमार, उम्र 21 वर्ष, निवासी-म. नं. बी-71, सड़क-12, स्मृति नगर, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ड्रायविंग लायसेंस आदि में मेरा नाम एमम (Aimum) दर्ज है. जो कि अपूर्ण है, मैं अपने नाम को परिवर्तित कर व पूर्ण नाम/उपनाम एमम श्रीवास्तव (Aimum Shrivastava) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे एमम श्रीवास्तव आ. श्री अनिल कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

एमम (Aimum)
पिता-अनिल कुमार
(Anil Kumar)
निवासी-म. नं. बी-71,
सड़क-12, स्मृति नगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
Add.- House No.B-71,
Street-12, Smriti Nagar, Bhilai
Tah & Dist.-Durg (C. G.)

नया नाम

एमम श्रीवास्तव
(Aimum Shrivastava)
पिता-अनिल कुमार
(Anil Kumar)
निवासी-म. नं. बी-71,
सड़क-12, स्मृति नगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
Add.- House No.B-71,
Street-12, Smriti Nagar, Bhilai
Tah & Dist.-Durg (C. G.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुवासिनी श्रीवास्तव ध. प. श्री अनिल कुमार, उम्र 43 वर्ष, निवासी-म. नं. बी-71, सड़क-12, स्मृति नगर, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे, समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक तथा अन्य शासकीय तथा अर्द्धशासकीय दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा नाम सुवासिनी (Suvashini) दर्ज है, जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर पूर्ण नाम/उपनाम सुवासिनी श्रीवास्तव (Suvashini Shrivastava) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे सुवासिनी श्रीवास्तव ध. प. श्री अनिल कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सुवासिनी (Suvashini)
पिता-हरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव
निवासी-म. नं. बी-71,
सड़क-12, स्मृति नगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
Add.- House No.B-71,
Street-12, Smriti Nagar, Bhilai
Tah & Dist.-Durg (C. G.)

नया नाम

सुवासिनी श्रीवास्तव
(Suvashini Shrivastava)
पति-अनिल कुमार
निवासी-म. नं. बी-71,
सड़क-12, स्मृति नगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
Add.- House No.B-71,
Street-12, Smriti Nagar, Bhilai
Tah & Dist.-Durg (C. G.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, परमेश्वर देवांगन आत्मज श्री दशरथ देवांगन, उम्र 51 वर्ष, निवासी-207, वार्ड नं.-31, दुर्गा मंदिर, नंदगहिया पारा, सेक्टर-11, जोन-3, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड एवं अन्य शासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा पूर्ण नाम परमेश्वर देवांगन (Parmeshwar Dewangan) दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम परमेश्वर दर्ज है, जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर पूर्ण व सही नाम/उपनाम परमेश्वर देवांगन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे परमेश्वर देवांगन आ. श्री दशरथ देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

परमेश्वर (Parmeshwar)
पिता-श्री दशरथ देवांगन
(Shri Dashrath Dewangan)
निवासी-207, वार्ड नं.-31,
दुर्गा मंदिर, नंदगहिया पारा, सेक्टर-11,
जोन-3, खुर्सीपार, भिलाई,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

परमेश्वर देवांगन
(Parmeshwar Dewangan)
पिता-श्री दशरथ देवांगन
(Shri Dashrath Dewangan)
निवासी-207, वार्ड नं.-31,
दुर्गा मंदिर, नंदगहिया पारा, सेक्टर-11,
जोन-3, खुर्सीपार, भिलाई,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सीताराम यादव आत्मज श्री खोरबाहरा यादव, उम्र 47 वर्ष, निवासी-म. नं.-265, पटेल पारा, छावनी, वार्ड-18, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, आदि अन्य आवश्यक दस्तावेजों में मेरा सही व वास्तविक नाम सीताराम यादव दर्ज है, किन्तु मेरी पुत्री हिमांशी यादव के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा घरेलू नाम श्री राम यादव दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम सीताराम यादव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सीताराम यादव आ. श्री खोरबाहरा यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्री राम यादव पिता-श्री खोरबाहरा यादव निवासी-म. नं.-265, पटेल पारा, छावनी, वार्ड-18, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	सीताराम यादव पिता-श्री खोरबाहरा यादव निवासी-म. नं.-265, पटेल पारा, छावनी, वार्ड-18, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तुमन लाल साहू (Tuman Lal Sahu) आत्मज स्व. धरमसिंह साहू, उम्र 43 वर्ष, निवासी-ग्राम-सिरसा खुर्द, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिचय पत्र व मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम तुमन लाल साहू दर्ज है जो कि सही है, किन्तु सिरसा खुर्द ग्राम में मेरे नाम की भूमि के राजस्व अभिलेख में मेरा घरेलू नाम शत्रुहन आ. धरम सिंह दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम तुमन लाल साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे तुमन लाल साहू आ. स्व. धरमसिंह साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
शत्रुहन पिता-श्री धरम सिंह साहू निवासी-ग्राम-सिरसा खुर्द, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तुमन लाल साहू पिता-स्व. धरमसिंह साहू निवासी-ग्राम-सिरसा खुर्द, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, धमतरी
प्रारूप

धमतरी , दिनांक 5 अक्टूबर 2017

प्रकरण क्रमांक 01 ब/113 वर्ष 2016-17

क्र./2214/अ. वि. अ./वा.1/2017.— आवेदक डॉ. थियोडार एम. मोलेम पिता डॉ. शा मोलेम निवासी धमतरी द्वारा सार्वजनिक और धमार्थ न्यास की स्थपना करना चाहता है जो घोषित और संबंधित प्रावधानों के अधीन है. विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :-
-

1. **आवेदक का नाम एवं पता :-** डॉ. थियोडार एम. मोलेम पिता डॉ. शा मोलेम निवासी धमतरी सत्य सांई कुटी (पहली मंजिल) कृदेव कालोनी महिमा सागर वार्ड धमतरी.

2. **ट्रस्ट का नाम :-** मेकर वाला न्यास विलेख दिनांक 28 मार्च 2017 से अव्यवस्थापक कहा गया है, के द्वारा घोषित किया गया है.

3. **न्यास कार्यालय का नाम :-** सांई कुटी (पहली मंजिल) कृदेव कालोनी महिमा सागर वार्ड धमतरी.

4. **न्यासी का नाम एवं पता :-** डॉ. थियोडार एम. मोलेम सुपत्र श्री शा मोलेम निवासी धमतरी छ. ग. (यू. एस. पासपोर्ट नं. 513509233) एवं सुश्री दामिनी शर्मा सुपुत्री श्री हेमंत शर्मा निवासी बालोद छ. ग. भारत (पैन-FQRPS9438G)

5. उनके उत्तरवादी और यहां गठित न्यास के वर्तमान न्यासीगण या अंतिम उत्तरवादी के संपादन कर्ता और प्रबंधकर्ता समाहित होगें.

6. **मेकरवाला ट्रस्ट का उद्धेश्य क्या है :-** बच्चों की आजीवन शिक्षा, गहन सोच, समाज में रचात्मक भागीदारी, को सशक्त करना अध्यापकों शिक्षणार्थीयों के व्यवसायिक विकास में सहायता करना एवं विभिन्न उदेश्यों की पूर्ति.

7. **अनुमानित मूल्य चल तथा अचल संपति का विवरण :-** चल अचल संपत्ति निरंक है. अव्यवस्थापक कुल 1000/- रु. का एकमात्र स्वामी है. अपनी इच्छा से 1000/- देकर सार्वजनिक और धमार्थ न्यास की स्थापना करना चाहता है.

उपरोक्तानुसार सार्वजनिक एवं धमार्थ न्यास के पंजीयन हेतु शासकीय राजपत्र में प्रकाशन किये जाने हेतु प्रेषित.

सी. डी. वर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक/2316/उपंरा/परि./2017.—कैपिटल चालकपरिवाहन एवं तकनिकी सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. 553 जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/2037/उंपरा/परिसमापन/2017 राजनांदगांव दिनांक 24-10-2017 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं "डी" वर्ग में है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओं सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैपिटल चालक परिवाहन एवं तकनिकी सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. 553 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उपधारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक/2317/उपंरा/परि./2017.—मॉ दूर्गा चर्मकार एवं हड्डी सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. 424 जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/2037/उंपरा/परिसमापन/2017 राजनांदगांव दिनांक 24-10-2017 जारी किया गया कि वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं "डी" वर्ग में है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओं सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए मॉ दूर्गा चर्मकार एवं हड्डी सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. 424 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उपधारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक/2318/उपंरा/परि./2017.—जय माँ काली प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. 444 जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/2037/उंपरा/परिसमापन/2017 राजनांदगांव दिनांक 24-10-2017 जारी किया गया कि वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं "डी" वर्ग में है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओं सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय माँ काली प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. 444 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उपधारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक/2319/उपंरा/परि./2017.—बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. 190 जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/2037/उंपरा/परिसमापन/2017 राजनांदगांव दिनांक 24-10-2017 जारी किया गया कि वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं "डी" वर्ग में है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओं सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. 190 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उपधारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक/2320/उपंरा/परि./2017.— मॉ अम्बे महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. जंगलपुर पं. क्र. 538 जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/2037/उंपरा/परिसमापन/2017 राजनांदगांव दिनांक 24-10-2017 जारी किया गया कि वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं "डी" वर्ग में है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओं सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए मॉ अम्बे महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. जंगलपुर प. क्र. 538 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री आलोक सिंह सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड डोंगरगांव जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उपधारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक/2321/उपंरा/परि./2017.—महेश गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. जंगलपुर पं. क्र. 03 जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/2037/उंपरा/परिसमापन/2017 राजनांदगांव दिनांक 24-10-2017 जारी किया गया कि वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं "डी" वर्ग में है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओं सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए महेश गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. 03 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री पी. के. बोस सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उपधारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

क्रमांक/परि./2017/2852.—वस्तुत: ईधनपूर्ति श्रमिक सहकारी समिति मर्या. तारबाहर विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3217 दिनांक 09-12-1989 के संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था के संचालक मंडल द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने का लेख करते हुए ईधनपूर्ति श्रमिक सहकारी समिति मर्या. तारबाहर को परिसमापन में लाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया. तत्स संबंध में ईधनपूर्ति श्रमिक सहकारी समिति मर्या. तारबाहर को सपरिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2017/2678 दिनांक 29-11-2017 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की और से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतएव: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये ईधनपूर्ति श्रमिक सहकारी समिति मर्या. तारबाहर पं. क्र. क्रमांक 3217 दिनांक 09-12-1989 विकास खण्ड, बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.